आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 424/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, शाखा कार्यालय– डी. डी. ब्लॉक, साल्ट लेक शाखा, 3 एवं 4, डी. डी. ब्लॉक, साल्ट लेक, सेक्टर 1, कोलकाता।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/ बैंक

बनाम

1. मैसर्स आईकेएफ टेक्नोलॉजिज लि.,
   पता :– आईई, कालीघाट पार्क रोड, कोलकाता।
2. मैसर्स प्रिमियम लिकर्स लिमिटेड,
   पता :– 102, पालको हाऊस, 2162/टी–10, मेन पटेल रोड, न्यू दिल्ली।
3. मैसर्स ग्रीन ओपन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड,
   पता :– 103, पालको हाऊस, 2162/टी–10, मेन पटेल रोड, न्यू दिल्ली।
4. मैसर्स श्री असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड,
   पता :– 102, पालको हाऊस, 2162/टी–10, मेन पटेल रोड, न्यू दिल्ली।
5. मैसर्स जीएनजी कन्सलटेन्ट्स प्रा. लिमिटेड,
   पता :– ए–3/3ए, ग्रीन अपार्टमेन्ट्स, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली।
6. श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी श्री जी एन गुप्ता,
   पता :– ए–3/3ए, ग्रीन अपार्टमेन्ट्स, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली।
7. श्री सुनील कुमार गोयल,
   पता :– ए–50, आर्य नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता, प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 15.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स जीएनजी कन्सलटेन्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुनील कुमार गोयल के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. ए–50, स्कीम नं. 18, शिल्पाचार्य गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जय किशन नगर, आर्य नगर के पास, मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 283.75 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 06,65,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 06,65,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 06,12,62,194.72/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स जीएनजी कन्सलटेन्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुनील कुमार गोयल के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. ए-50, स्कीम नं. 18, शिल्पाचार्य गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जय किशन नगर, आर्य नगर के पास, मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने, सीकर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 283.75 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 15.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर